**भारत सरकार**

**संस्‍कृति मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 991**

**उत्‍तर देने की तारीख : 29 जुलाई, 2015**

**एशियाड गांव में कलाकारों के लिए आवास का आवंटन**

991. **श्री भुवनेश्वर कालिताः**

 **श्री के॰ सी॰ त्यागीः**

 क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे मामलों से संबंधित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है, जिनके संबंध में मंत्रालय आवंटन के आधार पर सरकारी आवास के लिए सिफारिश करता है;

(ख) क्या कुछ कलाकार मंत्रालय की सिफारिश पर सीसीए द्वारा आवंटित एशियाड गांव के घरों में उक्त निबंधन और शर्तों की अवहेलना करते हुए रह रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में मीडिया की कतिपय खबरों के बारे में जानकारी है; यदि हां, तो ऐसे मामलों में उन घरों को खाली कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद उनके आवासों के आवंटन की निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्‍तर**

**(डॉ. महेश शर्मा)**

**संस्‍कृति एवं पर्यटन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्‍य मंत्री**

(क) प्रतिष्ठित कलाकारों को सरकारी आवास का आवंटन भारत सरकार, संस्‍कृति मंत्रालय के दिनांक 27.11.2008 के आदेश संख्‍या एफ.14-1/2008-अकादमी (प्रति संलग्‍न) में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से बनाए गए थे।

(ख) आवंटियों को आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से आवास दिया गया था और समय-समय पर समय विस्‍तार भी प्रदान किया गया था। अंतिम समय विस्‍तार 31.7.2014 तक प्रदान किया गया था।

(ग) जी, हां। मीडिया द्वारा उजागर तथ्‍य संस्‍कृति मंत्रालय की जानकारी में पहले से हैं। इस मामले में कोई भी निर्णय आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति जो ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्‍च निकाय है, के अनुमोदन से लिया जाता है।

(घ) सरकारी आवास के आबंटन के लिए सचिव (संस्‍कृति), संस्‍कृति मंत्रालय की अध्‍यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक वर्ष के लिए आबंटन आगे बढ़ाने या आबंटन रद्द करने संबंधी विकल्‍प एक कलाकार के मामले को छोड़कर, जिसमें आबंटन रद्द करने की सिफारिश की गई है, आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेज दिया गया है।

**संलग्‍नक**

सं. एफ 14-1/2008-अकादमी

भारत सरकार संस्‍कृति मंत्रालय

नई दिल्‍ली, 27 नवम्‍बर, 2008

**आदेशविषय : प्रतिष्ठित कलाकारों को सरकारी आवास का आबंटन - आबंटन का विस्‍तार तथा**

 **मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन।**

 आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 25.09.2008 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिष्ठित कलाकारों को सरकारी आवास के आबंटन के संबंध में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के संशोधन को अनुमोदित कर दिया है जिसकी सूचना इस मंत्रालय को मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 01.10.2008 के पत्र सं. सीसीए/03/2008 (i) द्वारा दी गई थी। संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखा निम्‍नानुसार हैं :

(i) मकान के आबंटन हेतु पात्र होने के लिए कोई कलाकार 40 वर्ष से कम आयु का अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(ii) केवल राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय ख्‍याति के प्रतिभाशाली कलाकारों पर विचार किया जा सकता है।

(iii) कलाकार को दिल्‍ली का निवासी होना चाहिए या यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि दिल्‍ली में संबंधित कलाकार का प्रवास उसके अपने कलात्‍मक कार्यकलाप को जारी रखने के लिए अनिवार्य है।

(iv) कलाकार के पास दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई मकान/फ्लैट/भूमि नहीं होनी चाहिए (विशिष्‍ट रूप से दिल्‍ली में गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और साहिबाबाद की नगर पालि‍का सीमाओं में)। कलाकारों अथवा उनके नाम पर चलाए जा रहे संगठनों के नाम पर दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित प्‍लॉटों के मालिकों पर आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(v) कलाकार की आय प्रतिमाह 20,000/- रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी से पुष्‍ट हो।

I. **आबंटन की शर्तें**

(i) आबंटन अधिकतम 40 यूनिटों के लिए किया जाएगा। इन 40 में से, केवल 15 कलाकार डी-II टाइप के मकान के पात्र होंगे तथा सभी शेष कलाकारों को टाइप-IV आवास के आबंटन की सिफारिश की जाएगी। मकानों का स्‍थान तथा लाइसेंस शुल्‍क, संपदा निदेशालय द्वारा तय किया जाएगा।

(ii) आबंटन अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। केवल योग्‍य मामलों में, एक बार के लिए आवास आबंटन की अवधि 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आबंटन अवधि के बाद किसी अनधिकृत रोक आदेश को नहीं माना जाएगा और अधिभोगी को, संपदा निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित अनधिकृत अवधि के लिए लाइसेंस शुल्‍क, क्षति प्रभार वहन करने होंगे। तथापि, यदि कलाकार (क) आबंटन की संपूर्ण अवधि में अपने कार्य को अत्‍यंत उच्‍च स्‍तर पर करता है और (ख) इस अवधि के दौरान अपना निजी आवास प्राप्‍त करने का प्रयास करता है, त‍क चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिकतम प्रतिधारण की अवधि में छूट दी जा सकती है।

(iii) आबंटिती की मृत्‍यु की स्थिति में, उसके निकटतम परिवार को सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क के भुगतान पर केवल 6 माह के लिए आवास प्रतिधारण की अनुमति होगी।

(iv) चयन समिति द्वारा संस्‍तुत आबंटनों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि कोई आबंटिती समिति के विचार से आबंटन हेतु उनके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे 6 माह के भीतर अपना आवास खाली करना होगा-सामान्‍य किराए के भुगतान पर 2 माह तथा दोगुने किराए पर 4 माह। इस समीक्षा के प्रयोजन के लिए, प्रत्‍येक आबंटिती को प्रत्‍येक वित्‍त वर्ष हेतु, संस्‍कृति मंत्रालय को उसकी संपूर्ण कुल आय घोषित करते हुए आयकर विवरणी की एक प्रति तथा साथ में यह भी बताते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्‍तुत करना अपेक्षित होगा कि उसके पास दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसा कोई भूखंड अथवा कोई मकान अथवा फ्लैट नहीं है, जिसके कारण वह आबंटन अथवा आवास के लगातार अभिग्रहण के पात्र नहीं हो सकता। संस्‍कृति मंत्रालय द्वारा मांगे गए ऐसे अन्‍य ब्‍यौरे भी आबंटिती द्वारा प्रस्‍तुत करने होंगे।

(v) किसी आबंटिती के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी, आयकर विभाग के निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष फाइल करे, चाहे उसकी किसी वर्ष की आय, कर योग्‍य सीमाओं से कम क्‍यों न हो।

(vi) मौजूदा आबंटियों के मामलों तथा प्रत्‍यक्ष कठिनाई के मामलों में सीसीए द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के किन्‍हीं भी प्रावधानों में उपयुक्‍त शिथिलता दी जा सकती है।

II. **चयन की प्रक्रिया**

1. आबंटन के सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इस समिति की अध्‍यक्षता सचिव (संस्‍कृति) द्वारा की जाएगी और इसमें संस्‍कृति मंत्रालय में सभी संयुक्‍त सचिव, सचिव, संगीत नाटक अकादमी, सचिव, ललित कला अकादमी, सचिव, साहित्‍य अकादमी, निदेशक, राष्‍ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संयुक्‍त सचिव (शहरी विकास)/संपदा निदेशक शामिल होंगे। समिति में आवश्‍यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रितगण भी बुलाए जा सकते हैं।

(ii) चयन समिति नए मामलों पर विचार करने तथा मौजूदा मामलों की समीक्षा करने के लिए छह माह में एक बार बैठक करेगी।

ह./-

**(वी.टी. जोसफ)**

अवर सचिव, भारत सरकार

**प्रतिलिपि प्रेषित :**

1. सचिव (संस्‍कृति), संस्‍कृति विभाग, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली।2. निदेशक, राष्‍ट्रीय नाट्य विद्यालय।3. सचिव, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्‍य अकादमी।4. निदेशक (सभी सात क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केंद्र)।